नगर पालिका निर्वाचन

मैं अभ्यर्थी हूँ

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र0) – 462011

Website - www. mplocalelection.gov.in

E-mail - commissionersec@gmail.com

विशेष

यह दस्तावेज चुनाव में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सहायक दस्तावेज के रूप में तैयार किया गया है । राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि इसका उपयोग करते हुए भी हर तरह के विधिक प्रयोजन हेतु और सही वैधानिक स्वस्थ एवं भाषा के लिए दस्तावेज में उल्लेखित समस्त अधिनियमों, नियमों, प्रावधानों, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं एवं आयोग की वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करते रहें ।

राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में

प्रश्न – **नगरीय निकायों के निर्वाचन किसके द्वारा कराये जाते है ?**

उत्तर– नगरीय निकायों के निर्वाचन म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराये जाते है।

प्रश्न – **राज्य निर्वाचन आयोग क्या है ?**

उत्तर– यह एक सदस्यीय आयोग है जिसका गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया। इस आयोग का मुख्य कार्य नगरीय निकायों तथा त्रि–स्तरीय पंचायतों के निर्वाचनों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से अपने अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में सम्पन्न कराना है। संविधान के अनुच्छेद 243 ट में इसका उल्लेख है।

प्रश्न – **आयोग का कार्यालय कहॉ स्थित है ?**

उत्तर– निर्वाचन भवन 58,अरेरा हिल्स भोपाल
दूरभाष क्रमांक 0755–2555527
ईमेल–commissionersec@gmail.com

प्रश्न – **राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना बताईये?**

उत्तर– संविधान के अनुच्छेद 243 ट के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। इसके प्रमुख को राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी आयोग के सचिव के रूप में कार्य करते हैं । उनके साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं आवश्यकतानुसार सलाहकार काम करते हैं ।

प्रश्न– क्या आयोग की अपनी कोई वेबसाईट है ?

उत्तर– जी हॉ। आयोग की वेबसाईट का पता है ww.mplocalelection.gov.in

प्रश्न– आयोग की वेबसाईट पर अभ्यर्थी से संबंधित भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है?

उत्तर– जी हॉ । आयोग की वेबसाईट पर विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई गई है तथा यह प्रतिदिन अद्यतन की जाती है । राजनैतिक दलों और

अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराए गए खंड में विभिन्न जानकारियों का समावेश है जिनमें प्रमुख हैः–

1. राजनैतिक दलों से संबंधित जानकारी ।
2. चुनाव चिन्ह
3. अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न एवं उत्तर ।
4. विभिन्न आवश्यक प्ररूप ।

इनके अतिरिक्त आयोग जन सामान्य की जानकारी के लिए अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले शपथ–पत्र एवं व्यय के ब्यौरों को भी उपलब्ध कराएगा ।

निर्वाचन से संबंधित अधिनियम/नियम

प्रश्न – नगरपालिका निर्वाचन से संबधित महत्वपूर्ण अधिनियम एवं नियम क्या है?

उत्तर– (1)नगरपालिक निगम अधिनियम 1956

(2)म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961

(3)म0प्र0 स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964

(4)म0प्र0नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994

प्रश्न – इनके अतिरिक्त मुझे और क्या पढ़ना चाहिए ?

उत्तर– आर्दश आचरण संहिता अभ्यर्थियों के लिये मार्गदर्शिका, मतदान अभिकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका, गणन अभिकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका।

मतदाता सूची

प्रश्न – नगरीय निकाय में कौन मतदाता हो सकता है?

उत्तर– कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची मे नाम दर्ज किये जाने का हकदार होगा, यदि वहः–

(1) उस वर्ष जिसमें मतदाता सूची तैयार की जा रही है, के जनवरी माह के प्रथम दिन 18 वर्ष से कम आयु का न हो।

(2) उस स्थानीय निकाय के किसी वार्ड का मामूली तौर से निवासी हो।

(3) विधानसभा की निर्वाचक नामावली में (जो कि उस स्थानीय निकाय के वार्ड से संबंधित हो) नाम दर्ज किये जाने के योग्य हो।

प्रश्न – मतदाताओं की सहायता के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने और कौन–कौन से कदम उठाये है ?

उत्तर– (i) मतदाताओं की सुविधा के लिये वार्ड वार प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन एवं विलोपन संबंधी आवेदन–पत्र प्राप्त करते हैं ।

(ii) वेबसाईट पर मतदाता सूची सर्च सुविधा के साथ उपलब्ध कराई गई है।

(iii) प्रत्येक मतदाता को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण मतदान दिवस के पूर्व कराने की व्यवस्था की गई है ।

(iv)मतदाताओं के लिये दावा–आपत्ति केन्द्रों की स्थापना एवं पर्याप्त प्रचार प्रसार।

(v) फोटोयुक्त मतदाता पर्ची को पहचान दस्तावेज के रूप में मान्यता।

प्रश्न – क्या मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रदान की जाती है?

उत्तर– जी हॉ। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के उपरान्त अर्थात 2 बार फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रदान की जाती है।

प्रश्न – मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिये किससे सम्पर्क किया जाए?

उत्तर– आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अर्न्तगत जिलों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों को आवेदन किया जा सकता है

जिन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिये प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रश्न – मतदाता सूची से संबंधित कौन–कौन से प्ररूप है तथा ये कहॉ उपलब्ध हैं ?

उत्तर– (1) मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के दावे आवेदन के लिये प्ररूप 'क'।

(2) मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के ब्यौरे पर आपत्ति के लिए प्ररूप 'ख'।

(3) मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति के लिये प्ररूप 'ग'

(4) मतदाता सूची से संबंधित आवेदन के प्रारूप आयोग की वेबसाईट www.mplocalelection.gov.in पर उपलब्ध हैं तथा इन्हें पर्याप्त संख्या में दावा आपत्ति केन्द्रों पर भी उपलब्ध कराया गया है ।

प्रश्न – मतदाता सूची एजेन्ट कौन होता है?

उत्तर– आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को यह सुविधा प्रदान की है कि प्रत्येक वार्ड के लिए मतदाता सूची एजेण्ट की नियुक्ति कर सकते है। मतदाता सूची एजेण्ट एक मार्गदर्शक के रूप में मतदाताओं को निर्धारित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित करेगा। साथ ही एजेण्ट अपने अधिकारिता वाले क्षेत्र में मृत एवं अन्यत्र स्थानांतरित मतदाताओं की सूची प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा।

नामांकन प्रक्रिया

प्रश्न – वार्डवार आरक्षण की जानकारी कैसे प्राप्त होगी?

उत्तर– निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही प्रत्येक स्थान के मामले में आरक्षण की स्थिति दर्शाने वाली सूचना संबंधित नगरीय निकाय, रिर्टनिंग आफीसर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाती है।

प्रश्न – पार्षद एवं अध्यक्ष/महापौर के लिये आयु सीमा क्या है?

उत्तर– (1) पार्षद के पद के लिये न्यूनतम आयु 21 वर्ष

(2) महापौर एवं अध्यक्ष के पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है ।

प्रश्न – निर्वाचन की सूचना में क्या –क्या जानकारी होती है?

उत्तर– (1)नाम निर्देशन करने के लिए अन्तिम दिनांक, समय तथा स्थान।

(2)नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिये दिनांक, समय तथा स्थान।

(3) अभ्यर्थिता वापस लेने का अन्तिम दिनांक तथा समय।

(4) मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, का दिनांक और समय

(5) मतगणना का दिनांक, समय और स्थान।

प्रश्न – नाम निर्देशन पत्र किसको तथा किन दिवसों में प्रस्तुत किये जा सकते है?

उत्तर– नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर अथवा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्वाचन की सूचना जारी होने की दिनांक से अंतिम दिनांक के 3.00 बजे तक नाम निर्देशन पत्र, सूचना में दर्शित समय में, प्रस्तुत किया जा सकता है। नाम निर्देशन पत्र ''सार्वजनिक अवकाश'' के दिन नहीं लिये जाते हैं।

प्रश्न – नाम निर्देशन पत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है?

उत्तर– नाम निर्देशन पत्र केवल अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः या उसके प्रस्तावक द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जहॉ तक संभव हो अभ्यर्थी को अपना नाम निर्देशन पत्र स्वयं प्रस्तुत करना चाहिए।

प्रश्न – नाम निर्देशन पत्र के साथ क्या– क्या आवश्यक है ?

उत्तर– नाम निर्देशन पत्र के साथः–

(i)प्रतिभूति राशि जमा करने की रसीद (इसे नगद में रिर्टनिंग आफीसर के कार्यालय में जमा किया जाता है)।

(ii)जाति प्रमाण पत्र (यदि अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 वर्ग के हैं)।

(iii)पूर्ण रूप से भरा हुआ शपथ पत्र जिसमें अभ्यर्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धारित सम्पत्ति का भी स्पष्ट विवरण होता है ।

प्रश्न – प्रतिभूति राशि कितनी है?

उत्तर– **पार्षद के स्थान के लिएः–**

(एक) नगर परिषद् के मामले में रू0 1000/–

(दो) नगरपालिका के मामले मे रू0 3000/–

(तीन) नगरपालिक निगम के मामले में रू0 5000/–

महापौर के स्थान के लियेः–

महापौर के स्थान के लिये रू. 20,000/–, परन्तु जहॉ कोई अभ्यर्थी महिला हो या अ0जा0, अ0ज0जा0 या अ0पि0व0 का सदस्य हो वहॉ इस नियम के अधीन उपरोक्त धनराशि की केवल आधी राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करायी जाएगी।

प्रश्न – क्या शपथ पत्र दिया जाना आवश्यक है ?

उत्तर– जी हॉ। आपके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में रिटर्निंग आफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। शपथ पत्र निर्धारित स्टाम्प पर मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/नोटरी के समक्ष शपथित होना चाहिए। शपथ पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित दो अतिरिक्त प्रतियॉ भी प्रस्तुत की जानी होगी। शपथ पत्र के प्रत्येक कॉलम को अनिवार्य रूप से भरें। यदि किसी कॉलम की जानकारी निरंक हो तो कॉलम में ''निरंक'' शब्द अंकित करे।

प्रश्न – क्या सरकारी प्रेस से छपे हुए नाम निर्देशन पत्र का ही उपयोग किया जा सकता है ?

उत्तर– यह आवश्यक नहीं है कि प्ररूप (फार्म) सरकारी प्रेस में छपा हुआ हो। यदि मुद्रित प्ररूप सहज उपलब्ध न हो तो निर्धारित प्ररूप में निजी रूप से मुद्रित, टंकित कराए हुए या हाथ से लिखे हुए या फोटोकॉपी किए हुए प्ररूप का भी

उपयोग किया जा सकता है। (बशर्ते वह नियमानुसार निर्धारित प्ररूप में हो और स्वच्छ हो) ।

प्रश्न – क्या अभ्यर्थी एक से अधिक वार्डों से पार्षद पद लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा हो सकता है ?

उत्तर – जी नहीं।

प्रश्न – अभ्यर्थी का प्रस्तावक कौन हो सकता है?

उत्तर– आपका प्रस्तावक वही व्यक्ति हो सकता है जो महापौर या अध्यक्ष के निर्वाचन के मामले में संबंधित नगरीय निकाय के किसी भी वार्ड में और पार्षद के निर्वाचन के मामले में संबंधित वार्ड (अर्थात उस वार्ड में जिसमें पार्षद के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हो) मतदाता के रूप में दर्ज है।

प्रश्न – एक अभ्यर्थी कितने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है?

उत्तर– आप एक पद के लिए अधिक से अधिक दो नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं।

प्रश्न – नाम निर्देशन पत्र भरते समय में कौन सी विशेष सावधानियॉ बरतनी होती है?

उत्तर– (1) नाम निर्देशन पत्र में उपरिलेखन या काटकूट नहीं की जानी चाहिए।

(2) अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0वर्ग के आवेदक को स्पष्ट रूप से अपनी जाति/वर्ग का उल्लेख करना चाहिए एवं उसका प्रमाण–पत्र संलग्न करना चाहिए ।

(3)वर्तमान सही आयु का उल्लेख करें ।

(4) सामान्यतः आपको नाम निर्देशन पत्र में अपना नाम वैसा ही लिखना चाहिए जैसा की वह मतदाता सूची में दर्ज है।

(5) शपथ पत्र सही एवं पूर्ण रूप से भरा हुआ हो।

(6) निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा करने की रसीद संलग्न करें ।

(7)आपका और प्रस्तावक का मतदाता सूची का सही क्रमांक भरा गया हो।

प्रश्न – **अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र में अपनी पसन्द के कितने प्रतीक चिन्ह चुन सकता है?**

उत्तर– यदि आप निर्दलीय अभ्यर्थी हैं तो आपको राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित निर्वाचन प्रतीकों की सूची में से अपनी पसंद के तीन प्रतीक चुनने होंगे।यदि आपको किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल ने खडा किया है तो आपको उस दल के लिये आरक्षित निर्वाचन प्रतीक ही आवंटित होगा।

प्रश्न – **नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय में कौन–कौन उपस्थित रह सकता है?**

उत्तर– संवीक्षा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। संवीक्षा के दौरान केवल निम्नांकित व्यक्ति उपस्थित हो सकते है:–

(i)आप स्वयं।

(ii) आपका निर्वाचन अभिकर्ता, यदि कोई हो।

(iii)आपका एक प्रस्तावक, और।

(iv)आपके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत एक अन्य व्यक्ति।

प्रश्न – **क्या अभ्यर्थी के नाम निर्देशन पत्र पर लिये गये आक्षेप के खण्डन का अवसर उसे दिया जाएगा ?**

उत्तर– हॉ। यदि आपत्ति को प्रथम दृष्टया अमान्य नहीं किया जा रहा है तो आपको उसका खण्डन करने का अवसर दिया जाएगा और समय मांगने पर सामान्यतया अगले दिन तक का समय दिया जाएगा।

प्रश्न – **अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता कब वापस ले सकता है?**

उत्तर– आपके द्वारा अभ्यर्थिता वापसी का आवेदन पत्र संवीक्षा समाप्त हो जाने के बाद ही इस हेतू निर्धारित अंतिम तारीख तक किया जा सकता है, उसके पहले नहीं।

प्रश्न– **अभ्यर्थिता की वापसी का आवेदन पत्र कौन दे सकता है?**

उत्तर– आवेदन पर आपके द्वारा स्वयं या इस निमित लिखित रूप से प्राधिकृत किये जाने पर, अपने प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रश्न – क्या उम्मीद्वार निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है ?

उत्तर– जी हॉ। निर्वाचन अभिकर्ता ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो नगरपालिका के किसी निर्वाचन में निर्वाचित किये जाने या उसमें मतदान करने के लिये निरर्हित न हो।

प्रश्न – निर्वाचन अभिकर्ता के प्रमुख कर्तव्य कौन–कौन से हैं?

उत्तर– (i) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय उपस्थित रहना ।

(ii)आपकी ओर से अभ्यर्थिता वापसी का आवेदन प्रस्तुत करना।

(iii)मतदान अभिकर्ता एवं गणन अभिकर्ता की नियुक्ति करना।

(iv) मतदान एवं मतगणना के समय उपस्थित रहकर आपके हितों की देखभाल करना।

मतदान अभिकर्ता एवं गणन अभिकर्ता

प्रश्न – उम्मीद्वार कितने मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है?

उत्तर– प्रत्येक मतदान केन्द्र में आपके हितों का ध्यान रखने के लिए आपको प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता तथा एक एवजी अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार है।

प्रश्न – क्या ये दोनों अभिकर्ता एक साथ मतदान केंन्द्र में उपस्थित रह सकते है?

उत्तर– नहीं। दोनों मे से केवल एक ही अभिकर्ता एक समय में केंन्द्र के अन्दर उपस्थित रह सकता है।

प्रश्न – मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कैसे की जाती है?

उत्तर– उसकी नियुक्ति आपके या आपके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जाएगी। दो प्रतियों में नियुक्ति पत्र होगा जिसकी एक प्रति पीठासीन अधिकारी को देकर उसके समक्ष उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पर वह मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करेगा।

प्रश्न – क्या मतदान अभिकर्ता मॉक पोल के दौरान उपस्थित रह सकता है?

उत्तर– जी हॉ। मॉक पोल की कार्यवाही मतदान प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व की जावेगी तथा अभिकर्ताओं से यह अपेक्षा है की उस दौरान वे उपस्थित रहें ।

प्रश्न – मॉक पोल क्या है?

उत्तर– मतदान–मशीन और उसमें मत अंकित होने की प्रक्रिया से परिचय तथा उसमें विश्वास बढ़ाने के लिए किये जाने वाले छद्म मतदान की प्रक्रिया को 'मॉक पोल' कहा जाता है। इससे प्रत्येक अभ्यर्थी को मत देते हुए बैलेट यूनिट की बटनों की जॉच हो जाती है तथा रिजल्ट देखने से गणना से संबंधित समस्त तथ्यों की भी जानकारी होती हैं ।

प्रश्न – मतदान समाप्ति के उपरान्त अभ्यर्थी के अभिकर्ता को क्या कोई दस्तावेज दिया जाएगा?

उत्तर– जी हॉ। मतदान समाप्ति के बाद अभिकर्ता को मतपत्र लेखा की एक प्रति दी जावेगी।

प्रश्न – गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कैसे होती है?

उत्तर– प्रत्येक वार्ड के लिये आप एक गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकते है।

प्रश्न – गणना के दौरान गणन अभिकर्ता को कौन सा दस्तावेज दिया जाएगा?

उत्तर– प्रत्येक राउण्ड के गणना परिणाम के पत्रक की छायाप्रति प्रत्येक गणन अभिकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रश्न – क्या अभ्यर्थी डी0एम0एम0 की सिलिंग के दौरान उपस्थित रह सकता है ?

उत्तर– जी हॉ। आप डी0एम0एम0 पर लगने वाली सील पर अपने हस्ताक्षर भी कर सकते है।

आदर्श आचरण संहिता

प्रश्न – आदर्श आचरण संहिता क्या है?

उत्तर– स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने के उददेश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों, शासकीय कर्मियों और विभागों के लिए अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण के संबंध में एक दस्तावेज तैयार किया गया है, जिसे आदर्श आचरण संहिता कहते है।

प्रश्न – आदर्श आचरण संहिता कब से लागू होती है?

उत्तर– आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू होती है तथा परिणामों की घोषणा तक प्रभावशील रहती है।

प्रश्न – आदर्श आचरण संहिता के उल्लघंन पर क्या कार्यवाही हो सकती है?

उत्तर– आदर्श आचरण संहिता के उल्लघंन के फलस्वरूप भारतीय दण्ड संहिता म0प्र0 (स्थानीय प्राधिकारी) निर्वाचन अपराध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही यदि राज्य निर्वाचन आयोग को यह लगे कि भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराधों के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नही है तो आयोग, संविधान द्वारा अपेक्षित अपने दायित्वों के निर्वाह के लिये किसी भी स्टेज पर, किसी भी समय, निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित करने या अन्य विधि सम्मत कारवाई करने के लिए समुचित कदम उठा सकता है।

प्रश्न – आदर्श आचरण संहिता के संबंध में उम्मीद्वार से क्या अपेक्षित है?

उत्तर– आपसे यह अपेक्षित है की आदर्श आचरण संहिता का आप कड़ाई से पालन करें तथा अपने समर्थकों से भी इसका कड़ाई से पालन करावें। साथ ही आपको प्रचार–प्रसार के संबंध समस्त अनुमतियां भी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व में प्राप्त करना चाहिए।

प्रश्न – क्या आदर्श आचरण संहिता का घोषणा पत्र से भी सम्बन्ध है ।

उत्तर– जी हॉ। संहिता में बताया गया है की मतदाताओं का विश्वास केवल ऐसे वायदों पर मांगा जाना चाहिए जिन्हें पूरा करना संभव हो। साथ ही घोषणा पत्र में ऐसी

कोई बात नहीं होनी चाहिए जो आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों में विहित भावना के अनुरूप न हों।

प्रश्न – यदि किसी अभ्यर्थी की जानकारी में कानून तथा नियमों के उल्लंघन की बात आये तो उसे क्या करना चाहिए?

उत्तर– आप तत्काल इसकी सूचना रिटर्निंग आफिसर या जिला निर्वाचन अधिकारी को दें। शिकायतें तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, कही सुनी या तुच्छ ओर अपुष्ट बातों पर नहीं।

प्रचार–प्रसार एवं मतदान

प्रश्न – प्रचार–प्रसार में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए ?

उत्तर– (1) प्रचार–प्रसार के दौरान अचार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन अत्यंत ही आवश्यक एवं अपेक्षित है ।

(2) सभा जुलूस, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है ।

(3) प्रचार–प्रसार में उपयोग किए जाने वाले वाहनों का पंजीयन आवश्यक है ।

(4) प्रचार–प्रसार सामग्री में प्रिंट लाईन होनी आवश्यक है ।

(5) अखबारों/इलेक्ट्रानिक मीडियों में पेड़ न्यूज (पैसा देकर समाचार प्रकाशित कराने) का सहारा लेना प्रतिबंधित है ।

प्रश्न – क्या प्रचार–प्रसार के लिए अभ्यर्थी मतपत्र छपा सकता है ।

उत्तर– जी हॉ । इस हेतु आप अपने नाम तथा प्रतीक का उपयोग करते हुए तथा उसमें वह स्थान दर्शाते हुए जहॉ पर वास्तविक मतपत्र में आपका प्रतीक होगा , डमी (नमूने के) मतपत्र भी छपवा सकते हैं । परंतु डमी मतपत्रों में निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने वाले अन्य अभ्यर्थियों के असली नाम तथा प्रतीक नहीं होना चाहिए और ना ही उनका रंग वास्तविक मतपत्रों का सा (अर्थात् उस रंग का अथवा उससे मिलते जुलते रंग (Shades) का नहीं) होना चाहिए ।

प्रश्न – **निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र क्या है ?**

उत्तर– निर्वाचन कार्य में लगे हुए ऐसे मतदाता जो उस मतदान केंद्र पर जहॉ कि वे मत देने के हकदार हैं, स्वयं उपस्थित होकर मत देने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि उन्हें निर्वाचन संबंधी किसी कार्य पर नियुक्त किया गया है तो वे ''निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र'' प्राप्त करने के लिए रिटर्निंग आफीसर को मतदान की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व आवेदन कर सकते हैं । इस पर रिर्टनिंग आफीसर उसे अन्य सामग्री के साथ सफेद रंग का मतपत्र प्रदान करेगा जिस पर ऐसा मतदाता विहित रीति से अपना मत अंकित कर मतदान में भाग ले सकता है। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के माध्यम से मतदान करने वाले मतदाताओं के लिए जिलों में फेसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा जिसकी प्रक्रिया का अवलोकन आपके अथवा आपके एजेंट के द्वारा की जा सकती है ।

प्रश्न – **क्या उम्मीद्वार को मतदान केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी ?**

उत्तर– जी हॉ । निःशुल्क।

प्रश्न – **''पहचान पर्चियॉ क्या है ?**

उत्तर– इस बार आयोग द्वारा मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पर्चियॉ उपलब्ध कराई जा रही है। इनका उपयोग मतदाताओं के पहचान दस्तावेज के रूप में भी किया जा सकता है ।

प्रश्न – **ई.व्ही.एम. के ऊपर उस हेतु बनाए गए स्थान पर लगाए जाने वाला मतपत्र किस रंग का होगा ?**

उत्तर– (क) पार्षद के लिएः–

(i) नगर परिषद के मामले मेंः–नीला

(ii) नगर पालिका के परिषद के मामलें में–पीला

(iii) नगर पालिक निगम के मामलें में–गुलाबी

(ख) महापौर एवं अध्यक्ष के लिए–सफेद

निर्वाचन व्यय लेखा

प्रश्न – **निर्वाचन व्यय लेखा पंजी अभ्यर्थी को कब प्राप्त होगी ?**

उत्तर– नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय ।

प्रश्न – **निर्वाचन व्यय लेखा पंजी कितने रंग के पृष्ठों की होगी।**

उत्तर– पंजी तीन रंग के पृष्ठों की होगी। सफेद, गुलाबी एवं पीला रंग।

प्रश्न – **निर्वाचन व्यय लेखा पंजी निशुल्क मिलेगी या शुल्क लगेगा।**

उत्तर– निर्वाचन व्यय लेखा पंजी निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रश्न – **निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान कहां उपलब्ध हैं।**

उत्तर– निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014 म0प्र0राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ–67–03/2014/तीन/न0पा0/346 दिनांक 10 जुलाई 2014 इसकी प्रति आपको नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत उपलब्ध कराई जाएगी ।

प्रश्न – **निर्वाचन व्यय लेखा कितने भागों में तैयार किया जाना है।**

उत्तर– तीन भागों में तैयार किया जाएगा –

(i)प्रोफार्मा ''क''–निर्वाचन व्यय का दिन–प्रति–दिन का लेखा रजिस्टर

(ii)प्रोफार्मा''ख''–निर्वाचन व्यय का नकद रजिस्टर,

(iii) प्रोफार्मा ''ग''–निर्वाचन व्यय का बैंक रजिस्टर । इन्हें जमा करते समय प्रोफार्मा 'घ' में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा जिसके बिना लेख अपूर्ण माना जाएगा ।

प्रश्न – **क्या यह निर्वाचन व्यय सीमा पार्षद पद के अभ्यर्थी हेतु भी है।**

उत्तर– जी नहीं। यह प्रावधान केवल महापौर/अध्यक्ष पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित है।

प्रश्न – **क्या निर्वाचन व्यय लेखा केवल अभ्यर्थी ही प्रस्तुत कर सकता है ?**

उत्तर– निर्वाचन व्यय लेखा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रश्न – **निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुति हेतु 30 दिवस की गणना कब से होगी ?**

उत्तर– निर्वाचन परिणाम की घोषणा के दिनांक से 30 दिन के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

प्रश्न – **क्या जिन अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थिता से वापस ले लिया है उसके लिए यह आवश्यक है ?**

उत्तर– नहीं ।

प्रश्न – **निर्वाचन व्यय लेखा पत्र का निरीक्षण किसे कराया जाना है ?**

उत्तर– आयोग द्वारा विहित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी, उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी एवं आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक को निर्वाचन व्यय लेखा पत्र का निरीक्षण कराया जाना चाहिए ।

प्रश्न– **निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किए जाने के संबंध में वैधानिक प्रावधान क्या है ?**

उत्तर– इस संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 14क, 14ख एवं 14ग तथा म.प्र.नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32क, 32ख एवं 32ग में क्रमशः महापौर/अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों द्वारा पठनीय है ।

प्रश्न– **निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किए जाने की अवधि क्या है ?**

उत्तर– निर्वाचन परिणाम की घोषणा के दिनांक से 30 दिन के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

प्रश्न– **निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किए जाने हेतु अधिसूचित अधिकारी कौन है ?**

उत्तर– राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किए जाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) को अधिसूचित किया गया है ।

प्रश्न– **निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने पर क्या–क्या प्रावधान है ?**

उत्तर– निर्वाचन व्यय लेखा यथा समय प्रस्तुत न किए जाने पर मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 14ग एवं मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम 1961 की धारा 32ग के अर्न्तगत क्रमशः महापौर/अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को इस असफलता के कारण निर्वाचन लड़ने से निर्हित किए जाने का प्रावधान है ।

प्रश्न–निर्वाचन व्यय लेखा हेतु क्या व्यय सीमा निर्धारित है ?

उत्तर–

नगरीय–स्थानीय निकाय का प्रकार	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा
1	2	3
नगर पालिक निगम	(एक) 10 लाख से अधिक (दो) 10 लाख से कम	(एक) रूपये 35 लाख (दो) रूपये 15 लाख
नगर पालिका परिषद	(एक) 1 लाख से अधिक (दो) 50 हजार से 1 लाख से तक (तीन) 50 हजार से कम	(एक) रूपये 10 लाख (दो) रूपये 06 लाख (तीन) रूपये 04 लाख
नगर परिषद		रूपये 03 लाख

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन

प्रश्न– ई0वी0एम0 शब्द का क्या अर्थ है ?

उत्तर– ई0वी0एम0 का मतलब इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन है यह इलेक्ट्रानिक कारर्पोरेशन आंफ इंडिया द्वारा निर्मित एवं म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित है इसके दो मुख्य भाग होते है पहला नियंत्रण युनिट (जिसे सी.यू.भी कहते हैं) तथा दूसरा बैलेट युनिट (जिसे बी.यू.भी कहते हैं)।

प्रश्न– म0प्र0 में नगरीय निकाय चुनावों में मतदान मशीन (ई0वी0एम0) का क्या संयोजन होगा ?

उत्तर– नगरीय निकाय के चुनाव में सामान्यतः एक कंट्रोल युनिट के साथ दो बैलेट युनिट जोडी जाएंगी जिसके पहली महापौर/अध्यक्ष पद की होगी तथा दूसरी बैलेट युनिट पार्षद पद हेतु होगी जिसे पहली बैलेट युनिट से जोडा जाएगा।

प्रश्न– उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होने पर क्या होगा ?

उत्तर– एक कंट्रोल युनिट से चार बैलेट युनिट जोड़ी जा सकती है। अतः अधिकतम 60 (जिसमें नोटा भी शामिल है) उम्मीदवारों का चुनाव एक ही कंट्रोल युनिट से कराया जा सकता है।

प्रश्न– **इस मतदान मशीन की मुख्य विशेषताएँ क्या है ?**

उत्तर– मतदान मशीन की मुख्य विशेषताओं में वार्ड क्रमांक एवं मतदान केंन्द्र क्रमांक भरना। प्रत्येक दिये गए निर्देश का प्रदर्शन खण्ड में दिखना तथा डी0एम0एम0 (डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल) है।

प्रश्न– **डी0एम0एम0 क्या है! एवं उसका उपयोग किस तरह होता है।**

उत्तर– यह एक समानांतर मतदान रिकार्ड करने की व्यवस्था है कंट्रोल युनिट तथा डी0एम0एम0 से किसी भी वार्ड विशेष के विशिष्ट मतदान केन्द्र की जानकारी सुरक्षित रखी जा सकती है। मतदान के पश्चात डी0एम0एम0 निकालकर सुरक्षित तरीके से सील कर रख दिया जाता है। इस प्रकार मशीन अगले चरणों के चुनाव कराने हेतु उपलब्ध रहती है।

प्रश्न– **डी0एम0एम0 के डाटा को दूसरी कंट्रोल युनिट में किस प्रकार पढा जा सकता है?**

उत्तर– डी0एम0एम0 को किसी भी कंट्रोल युनिट के लगाने पर मेमोरी चेंज्ड की सूचना प्रदर्शित होगी। रिजल्ट –II बटन को दबाए रखने पर ''बैक–2' प्रदर्शित होगा तथा मशीन डी0एम0एम0 के डाटा को प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देगी।

प्रश्न– **पी.एस.टी., पी.ई.टी. एवं पी.डी.टी. का क्या मतलब होता है?**

उत्तर– **पी.एस.टी.** अर्थात मतदान प्रारंभ होने का समय।

पी.ई.टी अर्थात मतदान समाप्त होने का समय।

पी.डी.टी. अर्थात मतदान की तारीख।

प्रश्न– **ई0वी0एम0 मशीन में कितने मतदाता मत अंकित कर सकते है?**

उत्तर– 2000 तक ।

प्रश्न– **मतदान मशीन से परिणाम किस प्रकार प्राप्त किया जाता है।**

उत्तर– क्लोज बटन मतदान समाप्ति पर दबाकर रिजल्ट I बटन दबाया जाता है मशीन कंट्रोल युनिट में स्थित डाटा पढना शुरू कर देती है। रिजल्ट–II बटन दबाने से डी0एम0एम0 में उपलब्ध डाटा पढा जा सकता है।

प्रश्न अभ्यर्थी कहॉ–कहॉ उपस्थित रह सकते हैं ?

उत्तर अभ्यर्थी/मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि प्रथम स्तर के परीक्षण (एफ.एल.सी.) के दौरान उपस्थित रह सकते हैं, इसके अलावा मशीनों को मतदान केन्द्र के लिए तैयार करते समय, मतदान के दिन दिखावटी मतदान (मॉक पोल), मतगणना के समय, डी.एम.एम. को सील करते समय एवं स्ट्रॉग रूम जहॉ पर समस्त मशीनें रखने एवं निकाले जाते समय उपस्थित रह सकते हैं ।

प्रश्न– ई.वी.एम. में कितने बैलेट युनिट लगा सकते हैं ?

उत्तर– सामान्यतः दो । पहला महापौर/अध्यक्ष पद का तथा दूसरा पार्षद पद हेतु ।

प्रश्न– क्या डी.एम.एम. बदले जाने पर मशीन सूचना देगी ?

उत्तर– हॉ , यह प्रदर्शन खंड में मेमोरी चेंज के रूप में प्रदर्शित होगा ।

प्रश्न– कितनी सीलों पर अभ्यर्थी हस्ताक्षर कर सकते है एवं कब कब ?

उत्तर– **बैलेट युनिट** एवं **कंट्रोल युनिट** की रिर्टनिंग अधिकारी की सील पर दिखावटी मतदान के पश्चात् ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, स्ट्रीप सील तथा समस्त एड्रेस टैग पर अभ्यर्थी हस्ताक्षर कर सकते हैं ।

प्रश्न– दिखावटी मतदान कितने घण्टे पहले शुरू होगा ?

उत्तर– सामान्यतः मतदान से 1 घण्टा पूर्व ।

प्रश्न– मतदाता पहचान पत्र कौन–कौन से है ?

उत्तर– वोटर आई.डी. कार्ड, फोटोयुक्त मतदाता पर्ची एवं आयोग द्वारा निर्धारित अन्य पहचान–पत्रों की सूची ।

प्रश्न– मतदाता यदि 1 ही वोट देना चाहे तो क्या होगा ?

उत्तर– दे सकता है, लेकिन मशीन में वह रिजल्ट दिखाते समय अंडर वोट के रूप में दर्ज होगा ।

प्रश्न– **इनवेलिड ऑपरेशन का क्या मतलब है ?**

उत्तर– जब तय प्रक्रिया का पालन न किया गया हो जैसे सी.आर.सी. (क्लोज, रिजल्ट, क्लीयर), क्लोज का बटन दबाने के पश्चात् मत जारी करना, बिना डी.एम.एम. लगाए कंट्रोल यूनिट का चलाया जाना इत्यादि।

प्रश्न– **अनफिनिश्ड़ वोट का क्या मतलब है ?**

उत्तर– सामान्यतया प्रत्येक मतदाता से दोनों बैलेट युनिटों में प्रत्येक में कोई एक बटन दबाने की उम्मीद की जाती है, परंतु यदि कोई मतदाता सिर्फ किसी भी एक बैलेट युनिट पर अपना मत अंकित कर बाहर चला जाता है तो ऐसे समस्त मतदाता अनफिनिश्ड़ वोटर के रूप में दर्ज होंगे । इसके अलावा कॅट्रोल युनिट का लाल बटन जलता रहेगा, तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी मशीन को ऑफ करके ऑन करेगा ।

प्रश्न– **कैसे पता चलेगा कि मतदाता ने दोनों वोट डाल दिये है ?**

उत्तर– एक लंबी बीप बजेगी। लंबी बीप न बजने की दशा में मतदाता द्वारा एक ही मत डाला गया है ।